

**03.06.2024 को आयोजित कार्कसिटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, विशेष आर्थिक क्षेत्र की अनुमोदन समिति बैठक का विवरण**

03.06.2024 को सुबह 10:30 बजे हाइब्रिड मोड के माध्यम से नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकास आयुक्त श्री ए. बिपिन मेनन की अध्यक्षता में मोहाली/चंडीगढ़ क्षेत्र में निजी विशेष आर्थिक क्षेत्र की इकाई अनुमोदन समिति के कार्यवृत्त आयोजित किया गया।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक के दौरान इकाई अनुमोदन समिति के निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:

1. श्री सुरेंद्र मलिक, संयुक्त विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र, नोएडा।
2. श्री उत्पल आचार्य, आईटीएस, सहायक, डीजीएफटी लुधियाना
3. श्री मनकिरण सिंह, आईआरएस, उप आयुक्त, सीमा शुल्क
4. श्री एसपीएस ढिल्लों, उप प्रबंधक, पीएसआईसी।

इसके अलावा, बैठक के दौरान अनुमोदन समिति की सहायता के लिए निम्नलिखित अधिकारी भी उपस्थित थे

- i. श्री ग्या प्रसाद, उप विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र
- ii. श्री करण गोयल, सहायक विकास आयुक्त, विशेष आर्थिक क्षेत्र मोहाली/चंडीगढ़
- iii. श्री संदीप कुमार, निर्दिष्ट अधिकारी, विशेष आर्थिक क्षेत्र मोहाली/चंडीगढ़

चूंकि गणपूर्ति उपलब्ध था, इसलिए कार्यसूची क्रमिक रूप से लिया गया। आरंभ में अध्यक्ष ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। सदस्यों के बीच विस्तृत विचार-विमर्श तथा आवेदकों/इकाइयों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के बाद, निम्नलिखित निर्णय लिए गए: -

**कार्यसूची मद संख्या 1:-**

**विषय: 03.06.2024 को आयोजित इकाई अनुमोदन समिति की बैठक के कार्यवृत्त का अनुसमर्थन।**

1.1 समिति को सूचित किया गया कि 30.04.2024 को आयोजित अनुमोदन समिति के निर्णयों के विरुद्ध समिति के किसी भी सदस्य या व्यापार से कोई संदर्भ प्राप्त नहीं हुआ और इसलिए, 30.04.2024 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

**कार्यसूची मद संख्या 2: - अनुमोदन हेतु पूंजीगत वस्तुओं की सूची का प्रस्ताव (पुष्टि मद): -**

**2.1 स्वीकृति पत्र संख्या एफ2/7/2005-ईपीजेड दिनांक 09.06.2006-कार्कसिटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (विकासक), एसएस नगर, मोहाली के अधिकृत संचालन के लिए माल की सूची का अनुमोदन-संबंध में**

2.1.1 अनुमोदन समिति को बताया गया कि कार्कसिटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (विकासक) ने 29.04.2024 के पत्र के माध्यम से अपने अधिकृत संचालन के लिए 4.25 लाख रुपये के सामान की सूची प्रस्तुत की थी। विकासक ने अपने अनुरोध के साथ विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 के नियम 12(2) के तहत परिकल्पित विशेषाधिकृत अभियंता प्रमाणपत्र भी संलग्न किया था।

**सुरेंद्र मलिक**

2.1.2 सी.ई. प्रमाण-पत्र में यह भी प्रमाणित किया गया है कि (1) उक्त माल का उपयोग एक वर्ष की अवधि के भीतर किया जाएगा और (2) माल का उपयोग विशेष आर्थिक क्षेत्र भवन और कार्यालय में लैंडमार्क प्लाजा के आंतरिक साज-सज्जा, रखरखाव कार्य के लिए किया जाना आवश्यक है। माल की सूची का अधिकृत संचालनवार विवरण इस प्रकार है: -

क्र.सं.	अधिकृत संचालन का नाम	वस्तु नाम	रकम	निर्देश संख्या 50 के अनुसार अधिकृत संचालन
1.	प्रसंस्करण क्षेत्र में इकाई अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदित सभी प्रकार के भवनों का निर्माण	कार्यालय फर्नीचर (टेबल, कुर्सी), रैक/गाड़ियां और कचरे का डिब्बा	1.75	निर्देश संख्या 50 का क्रमांक 22
2.	इंटरनेट संयोजकता (Internet connectivity) सहित दूरसंचार और अन्य संचार सुविधाएं।	निगरानी करना और परियोजना (होलोग्राम)	2.50	निर्देश संख्या 50 का क्रमांक 05
	<b>कुल</b>		<b>4.25लाख</b>	

2.1.3 अवलोकन करने पर पता चला कि माल की सूची अनुमोदित प्राधिकृत परिचालनों के लिए प्रासंगिक है।

2.1.4 विकासक ने 2023-24 के लिए क्यूपीआर और एचपीआर प्रस्तुत कर दिया है। विवरण निम्नानुसार है: -

क्र.सं.	विवरण	अवधि	जमा करने की तिथि
1	क्यूपीआर	अप्रैल, 2023 से जून, 2023	12.07.2023
2	क्यूपीआर	जुलाई, 2023 से सितम्बर, 2023	19.10.2023
3	क्यूपीआर	अक्टूबर, 2023 से दिसंबर, 2023	23.01.2024
4	एचपीआर	अप्रैल, 2023 से सितंबर, 2023	25.10.2023

2.1.5 अनुमोदन समिति को बताया गया कि विकासक ने फाइल पर 4.25 लाख रुपये मूल्य के शुल्क मुक्त माल की खरीद के लिए अनुमोदन प्रदान करने का अनुरोध किया था, क्योंकि सामग्री की तत्काल आवश्यकता थी और अनुमोदन समिति के अनुसमर्थन के अधीन फाइल पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसे अनुमोदित किया जाना था।

2.1.6 कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि श्री वीरेन्द्र चौहान अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और अपना प्रस्ताव समझाया।

2.1.7 विस्तृत जांच के बाद अनुमोदन समिति ने कार्कसिटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के 4.25 लाख रुपये के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी तथा फाइल पर लिए गए निर्णय की पुष्टि की।

2.2 स्वीकृति पत्र संख्या एफ2/7/2005-ईपीजेड दिनांक 22.05.2008 - अधिकृत परिचालनों के लिए आवश्यक सामग्री/वस्तुओं की सूची के अनुमोदन के लिए अनुरोध- मेसर्स कार्कसिटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मेसर्स सनी व्यू एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड (सह-विकासक);

**सुरेंद्र मलिक**

2.2.1 अनुमोदन समिति को सूचित किया गया कि मेसर्स सनी व्यू एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड ने दिनांक 24.05.2024 के पत्र के माध्यम से अपने अधिकृत संचालन के लिए 8.80 लाख रुपये के सामान की सूची प्रस्तुत की थी। सह-विकासक ने अपने अनुरोध के साथ विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 के नियम 12(2) के तहत परिकल्पित सी.ई प्रमाणपत्र भी संलग्न किया है।

2.2.2 सी.ई. प्रमाण-पत्र में यह भी प्रमाणित किया गया है कि उक्त माल का उपयोग एक वर्ष की अवधि के भीतर किया जाएगा। माल की सूची का अधिकृत परिचालनवार विवरण इस प्रकार था:

क्र.सं.	अधिकृत संचालन का नाम	रकम	निर्देश संख्या 50 के अनुसार अधिकृत संचालन
1.	अधिकृत संचालन: विद्युत, गैस और पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क जिसमें उपयुक्त क्षमता के आवश्यक उप-स्टेशनों, पाइपलाइन नेटवर्क आदि शामिल हैं।	6.00	निर्देश संख्या 50 का क्रमांक 04
2.	अधिकृत संचालन: प्रसंस्करण क्षेत्र में इकाई अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदित सभी प्रकार के भवनों का निर्माण	2.80	निर्देश संख्या 50 का क्रमांक 22
	<b>कुल</b>	<b>8.80</b>	

2.2.3 अवलोकन करने पर पता चला कि माल की सूची अनुमोदित प्राधिकृत परिचालनों के लिए प्रासंगिक है।

2.2.4 सह-विकासक ने 2023-24 के लिए क्यूपीआरएस और एचपीआर प्रस्तुत किया था। विवरण इस प्रकार है: -

क्र.सं.	विवरण	अवधि	जमा करने की तिथि
1	क्यूपीआर	अप्रैल, 2023 से जून, 2023	26.07.2023
2	क्यूपीआर	जुलाई, 2023 से सितम्बर, 2023	26.10.2023
3	क्यूपीआर	अक्टूबर, 2023 से दिसंबर, 2023	22.01.2024
4	एचपीआर	अप्रैल, 2023 से सितंबर, 2023	26.10.2023

2.2.5 अधिकृत प्रतिनिधि श्री जतिंदर सिंह अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की।

2.2.6 विस्तृत जांच के बाद अनुमोदन समिति ने शुल्क मुक्त माल की खरीद के लिए सह-विकासक मेसर्स सनी व्यू एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड के 8.80 लाख रुपये के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी।

**कार्यसूची मद संख्या 3: कंपनी के शेयरधारिता स्वरूप में बदलाव का प्रस्ताव:-**

3.1 स्वीकृति पत्र संख्या क्यू विशेष आर्थिक क्षेत्र / इकाई /04/02/2015/412 दिनांक 15.06.2015-यूनिट के शेयरधारिता स्वरूप में परिवर्तन;

सुरेंद्र मलिक

3.1.1 अनुमोदन समिति को बताया गया कि क्वार्कसिटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (विशेष आर्थिक क्षेत्र), मोहाली की एक अनुमोदित विशेष आर्थिक क्षेत्र इकाई मेसर्स एनविश आईटी सॉल्यूशंस एलएलपी ने अपनी विशेष आर्थिक क्षेत्र इकाई के शेयरधारिता स्वरूप में बदलाव के लिए अनुरोध प्रस्तुत किया था क्योंकि उन्होंने अपने सहभाजन अनुपात को फिर से संरेखित किया था और तदनुसार जुलाई 2023 के दौरान एलएलपी समझौते में संशोधन किया था।

3.1.2 इकाई ने अपने अनुपात को प्रभावित करने के लिए निष्पादित पूरक एलएलपी समझौता प्रस्तुत किया था। विशेष आर्थिक क्षेत्र इकाई पर मौजूदा और प्रस्तावित शेयरधारिता स्वरूप इस प्रकार है:

विशेष आर्थिक क्षेत्र इकाई का मौजूदा शेयरधारिता स्वरूप

क्र.सं.	शेयरधारक का नाम	शेयरधारिता (%)
1	श्री गुरमेल सिंह	99%
2	विजय लक्ष्मी भार्गव	1%
	कुल	100%

शेयरधारकों की प्रस्तावित सूची

क्र.सं.	शेयरधारक का नाम	शेयरधारिता (%)
1	श्री गुरमेल सिंह	67%
2	विजय लक्ष्मी भार्गव	33%
	कुल	100%

3.1.3 अनुमोदन समिति को यह भी बताया गया कि इकाई ने विशेषाधिकृत लेखापाल द्वारा प्रमाणित संशोधित शेयरधारिता स्वरूप की प्रति प्रस्तुत कर दी है।

3.1.4 इकाई ने आगे कहा कि वे एक विशेष आर्थिक क्षेत्र इकाई और एक चालू व्यवसाय के रूप में काम करना जारी रखेंगे तथा सभी देनदारियां अपरिवर्तित रहेंगी।

3.1.5 वाणिज्य विभाग का अनुदेश संख्या 109 निम्नानुसार है: -

"नाम में परिवर्तन, शेयरधारिता स्वरूप में परिवर्तन, व्यवसाय हस्तांतरण व्यवस्था, न्यायालय द्वारा अनुमोदित विलय और विभाजन, संविधान में परिवर्तन, निदेशकों में परिवर्तन आदि सहित पुनर्गठन संबंधित इकाई अनुमोदन समिति (UAC) द्वारा किया जा सकता है, बशर्ते कि विकासक/सह- विकासक/इकाई विशेष आर्थिक क्षेत्र से बाहर निकलने का विकल्प नहीं चुनेगा और एक चालू संस्था के रूप में

सुरेंद्र मलिक

*काम करना जारी रखेगा, विकासक /सह- विकासक /इकाई की सभी देनदारियाँ ऐसे पुनर्गठन पर अपरिवर्तित रहेंगी।"*

3.1.6 कंपनी के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री राम कुमार अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव के बारे में बताया।

3.1.7 विस्तृत जांच के बाद अनुमोदन समिति ने विशेष आर्थिक क्षेत्र अनुदेश संख्या 109 के संदर्भ में मेसर्स एनवीश आईटी सॉल्यूशंस एलएलपी के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी।

**कार्यसूची मद संख्या 4- विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 के नियम 11(5) के अंतर्गत विशेष आर्थिक क्षेत्र इकाई की 7वीं मंजिल पर कैफेटेरिया स्थापित करने की अनुमति के संबंध में:-**

**4.1 स्वीकृति पत्र नंबर व्यू विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसवीईपीएल)/ इकाई /04/02/2022/858 दिनांक 31/01/2022- टेलीपरफॉर्मेंस ग्लोबल बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड**

4.1.1 अनुमोदन समिति को बताया गया कि मेसर्स टेलीपरफॉर्मेंस ग्लोबल बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड एक अनुमोदित विशेष आर्थिक क्षेत्र इकाई है, जिसका कार्यालय कार्कसिटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मेसर्स सनी व्यू एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड (सह-विकासक) में 7वीं से 13वीं मंजिल पर है।

4.1.2 इकाई ने अपने पत्र दिनांक 23.05.2024 के माध्यम से प्रस्तुत किया था कि वे बीपीओ के व्यवसाय में हैं और 24x7 आधार पर काम करते हैं क्योंकि उनके पास संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय देशों में विदेशी ग्राहक हैं। उन्होंने तर्क दिया कि रात के संचालन और उस समय खाद्य पदार्थों की अनुपलब्धता के कारण उनके कर्मचारियों द्वारा विशेष रूप से उपयोग किए जाने वाले कैफेटेरिया की सुविधा होना अनिवार्य था। इसलिए, उन्होंने अपने परिसर की 7वीं मंजिल पर कैफेटेरिया स्थापित किया और मेसर्स किचन केमिस्ट्री फूड सर्विसेज, सेक्टर-82, एसएस नगर को ठेका दिया।

4.1.3 इकाई ने कैफेटेरिया चलाने की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए विक्रेता के निम्नलिखित दस्तावेज अपने अनुरोध के साथ संलग्न किए हैं: -

- कैफेटेरिया स्थापित करने के लिए विकासक से अनापत्ति प्रमाण पत्र
- विक्रेता के जीएसटी प्रमाणपत्र की प्रति
- विक्रेता के एफएसएसएआई पंजीकरण की प्रति
- विक्रेता के पैन नंबर की प्रति

4.1.4 इकाई ने विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 के नियम 11 (5) के प्रावधान के अनुरूप विक्रेता मेसर्स किचन केमिस्ट्री फूड सर्विसेज द्वारा कैफेटेरिया संचालित करने की मंजूरी देने का अनुरोध किया है।

*सुरेंद्र मलिक*

4.1.5 अनुमोदन समिति को यह भी बताया गया कि विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्देश संख्या 95 दिनांक 11.06.2019 के अनुसार, नियम 11(5) के प्रावधान के तहत सुविधाएं भी किसी इकाई द्वारा क्षेत्र के विकास आयुक्त /अनुमोदन समिति के पूर्व अनुमोदन से अपने विशेष उपयोग के लिए बनाई जा सकती हैं।

4.1.6 कंपनी के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री संतोष गायकवाड़ अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव के बारे में बताया।

4.1.7 विस्तृत जांच के बाद अनुमोदन समिति ने विशेष आर्थिक क्षेत्र अनुदेश संख्या 95 के अनुसार विशेष आर्थिक क्षेत्र इकाई की 7वीं मंजिल पर कैफेटेरिया स्थापित करने के इकाई के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी।

**कार्यसूची मद संख्या 5- विशेष आर्थिक क्षेत्र योजना से बाहर निकलने के लिए इकाई के प्रदर्शन की निगरानी:**

#### **5.1 मेसर्स एस्केलॉन बिजनेस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड**

5.1.1 अनुमोदन समिति को सूचित किया गया कि मेसर्स एस्केलॉन बिजनेस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को कार्कसिटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (विशेष आर्थिक क्षेत्र) मोहाली के सनी व्यू एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड (सह-विकासक) में दूसरी मंजिल पर इकाई स्थापित करने के लिए स्वीकृति पत्र संख्या क्यू विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसवीईपीएल) / इकाई / 04/02/18/649 दिनांक 02.07.2018 प्रदान किया गया था। यह 'सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाएँ' नामक अधिकृत संचालन करने के लिए था। इकाई ने बांड सह कानूनी उपक्रम निष्पादित किया जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार कर लिया गया। इकाई ने 31.08.2018 से अपना संचालन शुरू कर दिया जबकि स्वीकृति पत्र 31.05.2024 तक वैध है।

5.1.2 इकाई ने अपने पत्र दिनांक 03.04.2023 के माध्यम से विशेष आर्थिक क्षेत्र योजना से बाहर निकलने के लिए आवेदन किया था। तदनुसार, इस कार्यालय के दिनांक 06.04.2023 और 25.10.2023 के पत्रों के माध्यम से इकाई से बाहर निकलने के प्रस्ताव पर आगे विचार करने के लिए आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था।

5.1.3 प्रत्युत्तर में, इकाई ने दिनांक 18.08.2023 और 08.01.2024 तथा 07.05.2024 के पत्रों के माध्यम से उपरोक्त पैरा 5.1.2 में संदर्भित इस कार्यालय के पत्र के अनुपालन में आवश्यक दस्तावेज/एनओसी/कानूनी वचनबद्धता/स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए थे।

5.1.4 अनुमोदन समिति को बताया गया कि इकाई के वार्षिक प्रदर्शन प्रतिवेदन की जांच नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र की आंतरिक लेखापरीक्षा टीम द्वारा की गई है तथा नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र सीए फर्म से दिनांक 27.05.2024 की निष्पादन रिपोर्ट प्राप्त हुई है। सीए फर्म के अनुसार, वार्षिक प्रदर्शन प्रतिवेदन सही थे। निवल विदेशी मुद्रा उपलब्धि की स्थिति इस प्रकार है:

**सुरेंद्र मलिक**

5 वर्ष के प्रथम ब्लॉक के लिए: -

वर्ष	निर्यात का एफओबी मूल्य (लाख रुपए में)	एनएफई आय (लाख रुपए में)	डीटीए बिक्री (लाख रुपए में)	लंबित विदेशी मुद्रा प्राप्ति
2018-13 (31.08.2018 to 31.03.2019)	1070.63	1070.63	0.00	0.00
2019-20	2202.19	2202.19	0.00	0.00
2020-21	2937.42	2937.42	0.00	0.00
2021-22	6180.35	6180.35	0.00	0.00
2022-23	7703.66	7703.66	0.00	0.00
2023-24 (01.04.2023 to 30.08.2023)	2392.52	2392.52	0.00	0.00
कुल	22486.77	22486.77	0.00	0.00

5.1.5 कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि श्री अंकुर सक्सेना अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव को समझाया। विस्तृत जांच के बाद अनुमोदन समिति ने इकाई के प्रदर्शन की निगरानी की।

**कार्यसूची मद संख्या 6- परिचालन क्षेत्र में विलोपन का प्रस्ताव- संबंध में;**

**6.1 स्वीकृति पत्र संख्या क्यू विशेष आर्थिक क्षेत्र / इकाई /04/02/19/707 दिनांक 08 अप्रैल, 2019- मेसर्स टाई इन्फो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड;**

6.1.1 अनुमोदन समिति को बताया गया कि मेसर्स टाई इन्फो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को मोहाली (पंजाब) में कार्कसिटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में एक इकाई स्थापित करने के लिए दिनांक 08 अप्रैल, 2019 को स्वीकृति पत्र संख्या QSEZ/Unit/04/02/19/707 प्रदान किया गया था, जिसे "आईटी/आईटीईएस" सेवा गतिविधियों को शुरू करने के लिए दिनांक 08.04.2024 के पत्र द्वारा आगे बढ़ाया गया। इकाई का स्वीकृति पत्र 08.07.2029 तक वैध है।

6.1.2 अब, मेसर्स टाई इन्फो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड ने अपने पत्र दिनांक 17.05.2024 और 29.05.2024 के माध्यम से इकाई के अपने परिचालन क्षेत्र को आंशिक रूप से हटाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। प्रस्ताव की जांच की गई है और विवरण नीचे दिया गया है: -

**सुरेंद्र मलिक**

इकाई का नाम	मेसर्स टाई इन्फो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड		
स्वीकृति पत्र संख्या एवं दिनांक	स्वीकृति पत्र संख्या क्यू विशेष आर्थिक क्षेत्र / इकाई / 04/02/19/707 दिनांक 08 अप्रैल, 2019		
प्रारंभण की तिथि	09.07.2019		
स्वीकृति पत्र तक वैध	08.07.2029		
क्या बांड-सह-एल्यूटी प्राप्त हुआ/स्वीकृत हुआ	हाँ		
इकाई का वर्तमान स्वीकृत क्षेत्र एवं स्थान	दूसरी मंजिल पर 1615 वर्ग फुट		
विलोपन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र	दूसरी मंजिल पर 615 वर्ग फुट		
क्या प्रस्तावित क्षेत्र को हटाने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र विकासक /सह- विकासक की कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है	हां, इकाई ने विकासक द्वारा जारी दिनांक 12.03.2024 का पत्र प्रस्तुत कर दिया है।		
क्षेत्रफल में कमी के कारण	कर्मचारी घर से काम करना पसंद करते हैं और अब कार्यालय से काम करने वाले कर्मचारी भी कम हो गए हैं।		
क्षेत्र में कमी के कारण अनुमानों में परिवर्तन, यदि कोई हो	नहीं		
चालू ब्लॉक के दौरान इकाई का वर्षवार निष्पादन।	(रुपये लाख में)		
	वर्ष	एफओबी	एनएफई
	2020-21	665.00	665.00
	2021-22	986.00	986.00
	2022-23	720.75	720.75
	2023-24	890.10	890.10
	कुल	3261.85	3261.85
रोज़गार	11		

6.1.3 अनुमोदन समिति को यह भी बताया गया कि इकाई ने विशेष आर्थिक क्षेत्र इकाई के क्षेत्र में कटौती/हटाने के संबंध में निर्दिष्ट अधिकारी (सीमा शुल्क) से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है।

6.1.4 कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि श्री विकास पुरी अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और अपना प्रस्ताव समझाया।

**सुरेंद्र मलिक**



विस्तृत जांच के बाद अनुमोदन समिति ने कार्कसिटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (विशेष आर्थिक क्षेत्र) की दूसरी मंजिल पर 615 वर्ग फुट परिचालन क्षेत्र को हटाने के लिए इकाई के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी।

बैठक अध्यक्ष को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ समाप्त हुई।

सुरेंद्र मलिक

(सुरेंद्र मलिक)

संयुक्त विकास आयुक्त

अ. बिपिन मेनन

(ए. बिपिन मेनन)

विकास आयुक्त